संख्या-15/2024/I-770687-2024

प्रेषक,

लक्ष्मण राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊ : दिनांक 16 अक्टूबर, 2024

विषय:- **जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुँच मार्ग योजना के अन्तर्गत फैजाबाद-अयोध्या मुख्य मार्ग से हनुमानगढी होते हुए श्रीराम जन्मभूमि तक (भक्ति पथ) के निर्माण हेतु पुन: पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-668/ध0का0वि0नि0/अयो0/2024-25, दिनांक 17.05.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुँच मार्ग योजना के अन्तर्गत फैजाबाद-अयोध्या मुख्य मार्ग से हनुमानगढ़ी होते हुए श्रीराम जन्मभूमि तक लम्बाई-0.742 किमी0 (भक्ति पथ) के निर्माण हेतु पुन: पुनरीक्षित धनराशि रू0 5683.02 लाख के आगणन/प्रस्ताव को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में उल्लेख करना है कि प्रश्नगत मार्ग का निर्माण किये जाने एवं भूमि/भवन क्रय हेतु शासनादेश संख्या-592-57-2021-2(जी)/2021, दिनांक 06.08.2021 द्वारा धनराशि रु0 3386.18 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए भूमि/भवन एवं पुनर्वास हेतु प्रथम किश्त के रूप में रु0 2899.65 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। बाद में शासनादेश संख्या-857-57-2022-1-जी-2021-टी.सी.-IV, दिनांक 10.08.2022 द्वारा प्रश्नगत परियोजना में भूमि/भवन के क्रय तथा निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत रु0 6278.66 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। तत्पश्चात् शासनादेश संख्या-874-57-2022-1-जी-2021-टी.सी.- IV, दिनांक 11.08.2022 द्वारा निर्माण मद में धनराशि रु0 310.83 लाख की तथा शासनादेश संख्या-469-57-2023-1-जी-2021-टी.सी.-4 दिनांक 20.03.2023 द्वारा धनराशि रु0 550.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के आदेश निर्गत किये गये है। तदोपरान्त उक्त मार्ग पर स्थित भवनों का एकरूप फसाड आदि कार्यों हेतु शासनादेश संख्या-I/362652/2023 , दिनांक 04.08.2023 द्वारा परियोजना को पुन: पुनरीक्षित करते हुए लागत रू0 6804.06 लाख जी0एस0टी0 सहित की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के आदेश निर्गत किये गये है। उक्त पुन: पुनरीक्षित परियोजना में निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0 1768.73 लाख तथा भूमि/भवन क्रय हेतु धनराशि रू0 5035.33 लाख निर्धारित है। शासनादेश संख्या-13/2023/1993-57-2023-1-जी-2021-टी.सी.-IV, दिनांक 03.11.2023 द्वारा पुन: पुनरीक्षित परियोजना में निर्माण कार्य हेतु निर्धारित लागत धनराशि रू0 1768.73 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 465.71 लाख की वित्तीय स्वीकृति के आदेश निर्गत किये गये है। शासनादेश संख्या-8/2024/631-57-2024-1-G-2021-TC-IV, दिनांक 22.03.2024 द्वारा निर्माण मद में चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि रू0 353.75 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। इस प्रकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परियोजना में भूमि/भवन क्रय के मद में निर्धारित लागत रू0 5035.33 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 2899.65 लाख तथा निर्माण कार्य हेतु निर्धारित लागत रू0 1768.73 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 1680.29 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- अत: आपके उक्त पत्र दिनांक 17.05.2024 द्वारा प्रायोजना के पुनरीक्षण हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुन: पुनरीक्षित लागत रू0 5668.88 लाख (छप्पन करोड़ अड़सठ लाख अट्ठासी हजार रूपये मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध:-</u>

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग की होगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानिटरिंग भी की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग एवं मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 के अन्तर्गत सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा एवं भविष्य में पुन: पुनरीक्षित लागत पर विचार नहीं किया जायेगा।

(11) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का कार्यदायी संस्था द्वारा यदि कोई ब्याज अर्जित किया जाता है, तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(14) इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-592-57-2021-2(जी)/2021, दिनांक 06.08.202, शासनादेश संख्या-857-57-2022-1-जी-2021-टी.सी.-IV, दिनांक 10.08.2022, शासनादेश संख्या-874-57-2022-1-जी-2021-टी.सी.-IV, दिनांक 11.08.2022 एवं शासनादेश संख्या-469-57-2023-1-जी-2021-टी.सी.-IV दिनांक 20.03.2023 में उल्लिखित शर्ते एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(15) कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(16) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

(17) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव /आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, सडक की लम्बाई एवं चौडाई में परिवर्तन, क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(18) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग एवं विभागाध्यक्ष का होगा।

4- अनुदान संख्या-084 के पूंजीलेखा शीर्षक-4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-04-श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग-24-बृहत निर्माण कार्य के मद में उपलब्ध धनराशि से प्रश्नगत परियोजना का वित्त पोषण किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के **अशासकीय संख्या-E-5-84-X-2024-25, दिनांक 10/10/2024** में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
4- जिलाधिकारी, अयोध्या/वाराणसी।
5- नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।
6- उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
7- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/अयोध्या।
8- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता, अयोध्या पक्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।
10- अधिशाषी अभियन्ता, निर्माणरि खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in